बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक–वि०प्रा०(।।।)ब०–08 / 2013 / पटना, दिनांक–

प्रेषक

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 – बहुशिल्प, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" विपत्र कोड – पी 4202021040102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–960, दिनांक 21.04.2015 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्थापित बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी में वर्ष 2015–16 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के कम्प्यूटर, रसायन, भौतिकी, अभियांत्रिक प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं सर्वेक्षण में आवश्यकता आधारित मशीनें / उपकरण के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रू० 51,37,000=00 मात्र, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, दो छात्रावासों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं कर्मशाला में आवश्यकता आधारित उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रू० 80,00,000=00 मात्र तथा पुस्तक के क्रय हेतु रू० 5,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू० 1,36,37,000=00 (एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय तथा 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से कुल रू० 1,36,37,000=00 (एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

क्रम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	13 01 कार्यालय व्यय	5,00,000=00
2	52 01 मशीनें एवं उपस्कर	1,31,37,000=00
	कुल	**1,36,37,000=00**

(क)

(क) एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 / वि०(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–396, दिनांक 24.04.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षें में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब०–08/2013 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब०–08/2013 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि विपत्र पारित करने के क्रम में कृपया अपने स्तर से सुनिश्चित हो लेंगे कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या एवं विपत्र कोड सहित, इकाई एवं आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग मे सुविधा हो सके।

ह०/–
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब०–08/2013 07(ग्या) /पटना, दिनांक– 22-5-015

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी–3/ योजना सहायक /एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5/15
अपर सचिव

22/5/15